



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 07]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 जनवरी, 2018

**का.आ. 07(अ).**—केंद्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 जुलाई, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. वी-15011/09/2017-पी.एच.-I]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

**S.O. 07(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby appoints the 7<sup>th</sup> day of July, 2018, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. V-15011/09/2017-PH-I]

LAV AGARWAL, Jt. Secy.